अर्जुन बनाम रघुनाथ सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मु.नं. – 78/2013 प्रा.नि.प्रार्थना
[illegible] 23/7/21	~~पत्रावली पेश हुई वकील वादी/प्रार्थी/ ...कुलाय पक्षकारान् उपस्थित। श्रीमान् जिला ...लक्टर सीकर के आदेश क्रमांक ...3/वाचक/सीकर/2021 दिनांक 12 जुलाई 2021 के ...ा प्रकरण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर ...यालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला को हो जाने से यह ...रण इस न्यायालय से उक्त न्यायालय में स्थानान्तरित ...या जाता तथा वकुलश उभय पक्षकारान् ... सुनवाई ... न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला ... आगामी पेशी ... को उपस्थित होने हेतु पाबन्द ... जाता है। ...त्रावली इस न्यायालय से कमर स्थानान्तरित ... दर्ज शुमार ...।~~ ~~(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)~~
23.07.2021	वकील प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश किये जाने पर पत्रावली आगामी इकजाई पेशी 30.07.2021 से पूर्व तलब होने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है तथा मुकदमें को आगे नहीं चलाना चाहते तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रा कर खारीज किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण द्वारा किया गया है। अतः वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रा कर खारिज किये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Laxmi Kant Gupta Date: 2021.07.29 18:28:52 IST Reason: SelfAttested (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)